नम्बर व ता...
अहकाम जो इस हु...
की तामील में जारी हुए

राजस्व लोक अदालत केम्प खेड़ तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 53/2018

वादीगण :— 1 निम्बाराम पुत्र केताराम मेगवाल सा0 भिण्डाकुआ

बनाम

प्रतिवादीगण :— 1. बीजाराम 2. चेतनराम 3. पानी पत्नि केताराम जाति मेगवाल
4. तहसीलदार पचपदरा जरिये राज0सरकार

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्ध

आदेश दिनांकः—14.06.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत खेड में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम रातानाडा के खसरा न0 691/285 रकबा 15.00 बीघा मे अपीलाण्ट के पिता फौत होने के पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या 1006 दर्ज करते समय अपीलाण्ट का अशुद्व नाम गोकला पुत्र केतिया दर्ज किया गया है । जबकि सही नाम सरकारी दस्तावेज के अनुसार निम्बाराम पुत्र केताराम है अतः अपीलाण्ट का सही नाम निम्बाराम पुत्र केताराम करने का निवेदन किया है ।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत ब्यानकर्ता बीजाराम, चेतनरराम पुत्र केताराम, पानी प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, मूलनिवासी प्रमाण पत्र, राशकार्ड, परिचय पत्र व पटवारी खेड /आरआई साजियाली की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड मे गोकला पुत्र केतिया की जगह निम्बाराम पुत्र केताराम नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट का अशुद्व नाम गोकला पुत्र केतिया की जगह निम्बाराम पुत्र केताराम करने के आदेश जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.........295.......

Scanned by CamScanner